भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 878

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीमारियों का महंगा इलाज

878. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या देश में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कैंसर, हृदय रोग और गुर्द काम न करने जैसी बीमारियोंका इलाज महंगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे वहनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदमउठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) योजना केअंतर्गत प्रत्येक जिले में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है और यदि हां, तोतत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या देश में चिकित्सकों और नर्सों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस कमी कोपूरा करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती कीमतों कोनियंत्रित करने के लिए नई नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): कैंसर, दिल का दौरा और किडनी की बीमारियों का इलाज विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या स्तरों पर किया जाता है। सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए नि:शुल्क या रियायती उपचार प्रदान करते हैं। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये प्रदान करती है, जिससे 55 करोड़ लोगों (12.37 करोड़ परिवार, आबादी का सबसे निचला 40%) को लाभ मिलता है। हाल ही में, पीएम-जेएवाई ने 70+ आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय पर ध्यान दिए बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया।

एबी पीएम-जेएवाई के स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) में 27विशिष्टताओं में 1961 प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें एनसीडी और कैंसर (रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी), स्ट्रोक, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, बाईपास, उच्च रक्तचाप और मधुमेह पैर जैसी संबंधित जटिलताएं शामिल हैं। 29,929+ से अधिक पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का लक्ष्य 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों (21 अक्टूबर, 2024 तक) के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। इस योजना में 2047 दवाइयाँ और 300 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जिनमें हृदय संबंधी, कैंसर रोधी और मधुमेह रोधी दवाएँ शामिल हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपचार के लिए सस्ती दवाइयाँ और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) कैंसर, हृदय और अन्य बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयाँ प्रदान करता है। 15 जनवरी, 2025 तक, 29 राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में 220 अमृत फ़ार्मेसीज़ 50% तक की छूट पर 6,500 से ज़्यादा दवाइयाँ, प्रत्यारोपण और सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रदान करती हैं।

कैंसर सहित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बीपीएल रोगियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एचएमडीजी ₹1.25 लाख तक की सहायता प्रदान करता है, जबकि आरएएन ₹15 लाख तक की सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधनों और पहुँच में सुधार करता है,। राष्ट्रीय नि:शुल्क दवाइयाँ और नि:शुल्क डायग्नोस्टिक सेवाएँ जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर आवश्यक दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक्स सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेबी खर्च में कमी आती है। एनपी-एनसीडी के तहत जिला और उप-मंडल अस्पतालों में कैंसर रोधी, उच्च रक्तचाप रोधी और मधुमेह रोधी दवाएं उपलब्ध हैं।

गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) को 2010 में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, प्रारंभिक निदान और रेफरल को मजबूत करके उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर (मुख, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा) से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इसने 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 372 डे केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए हैं।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर कमियों को दूर करके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बढ़ाता है। पीएम-एबीएचआईएम के तहत, 602 जिलों को आपातकालीन और महामारी प्रतिक्रिया के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) मिले हैं, जिनमें उच्च आबादी वाले जिलों में ब्लॉक का आकार 50, 75 या 100 बेड पर निर्धारित किया गया है, जो मौजूदा जिला अस्पताल क्षमता के 25% के आधार पर है। (सीसीबी की स्थिति अनुलग्नक में

उपलब्ध है)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन) 2022-2023 रिपोर्ट के अनुसार, स्वीकृत पदों, डॉक्टरों, नर्सों की स्थिति और कमी तथा सरकारी अस्पतालों का विवरण निम्नलिखित URL पर सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राष्ट्रीय नि:शुल्क दवाएं और नि:शुल्क डायग्नोस्टिक सेवाएं आवश्यक दवाओं और परीक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। एनपी-एनसीडी के तहत जिला और उप-मंडल अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की सूची में कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं। सरकारी अस्पताल गरीबों और जरूरतमंदों को नि:शुल्क या रियायती एनसीडी उपचार प्रदान करते हैं। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत, 55 करोड़ लाभार्थियों को 200 से अधिक पैकेजों के तहत प्रमुख एनसीडी उपचार सहित माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर मिलता है। हाल ही की मंजूरी में सभी वरिष्ठ नागरिकों (70+) को पीएम-जेएवाई कवरेज प्रदान किया है। प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) अमृत फार्मेसियां देश भर में 220 दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर कैंसर की दवाइयां बेचती हैं।

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) की स्थिति निम्नानुसार है:

(इकाइयाँ)

वित्त वर्ष	राज्य	घटक	उप-घटक	आवंटित मात्रा	मैप की गई मात्रा	प्रारंभ नहीं हुए	कार्य प्रगति पर	पूर्ण
2021-22, 2022-23,2023-24, 2024-25		क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक	जीएमसी में सीसीबी (50 बिस्तरों वाले) की स्थापना - पूंजीगत कार्य के लिए सहायता	14	10	2	8	0
			जिला अस्पतालों में सीसीबी (100 बिस्तरों वाले) की स्थापना - पूंजीगत कार्यों के लिए सहायता	21	21	4	17	0
			जिला अस्पतालों में सीसीबी (50 बिस्तरों वाले) की स्थापना - पूंजीगत कार्यों के लिए सहायता	14	14	3	11	0

*****